प्रारूप धारा –11

कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरिया एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्र 7632 /भू–अर्जन/ रा0प्र0क्र0–01/अ–82/2018–19, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 05/09/2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आश्य की सूचना दी जाती है, की राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	कुल खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में.)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पहाड़हसवाही /07	10	0.567	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बैकुंठपुर जिला कोरिया (छ0ग0)	बड़काघाघी व्यपर्वतन योजना के नहर निर्माण हेतु

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई, भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़, के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे।
   प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु भूमि का विस्तार क्षेत्र ऐसी परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमें पड़त भूमि सम्मिलित है, उक्त परियोजना हेतु उपलबन्ध नहीं है।
6. प्रस्तावित भूमि अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं
भू–अर्जन अधिकारी, मनेन्द्रगढ़,
जिला कोरिया (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(श्री डोमन सिंह)
कलेक्टर जिला–कोरिया (छ0ग0)
उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

E:\Sub Div\Arvind\Revenue\Badkaghagi\Dhara 11\dhara 11.docx

Scanned by CamScanner